

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक-43/एक-9-1/2013,

डिण्डौरी, दिनांक-29.01.2026

माह फरवरी 2026 में निर्धारित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड कार्यवाही/विधि अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य प्रभावित न हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, मैं श्रीमति शशिकान्ता वैश्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला मुख्यालय डिण्डौरी एवं तहसील मुख्यालय शहपुरा में पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सारणी में उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश तिथियों में रिमाण्ड/आपराधिक विधि के तहत अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य के लिए अधिकृत करती हूँ :-

जिला मुख्यालय डिण्डौरी

क्र.	अधिकारी का नाम	माह-फरवरी 2026
1-	श्री राम प्रसाद सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला डिण्डौरी	01 फरवरी 2026
2-	श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला डिण्डौरी	22 फरवरी 2026
3-	श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला डिण्डौरी	15 फरवरी 2026 21 फरवरी 2026
4-	सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला डिण्डौरी	07 फरवरी 2026 08 फरवरी 2026

तहसील शहपुरा

क्र.	अधिकारी का नाम	माह-फरवरी 2026
1.	श्री कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहपुरा जिला डिण्डौरी	01, 07 एवं 08 फरवरी 2026
2.	श्री दिलीप पाटिल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहपुरा जिला डिण्डौरी	15, 21 एवं 22 फरवरी 2026

नोट:-{1} संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांको को 03:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित होकर, अपने-अपने न्यायालय कक्ष में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 01.02.2026 से प्रभावी होकर 28.02.2026 तक रहेगा।

{2} यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन करना चाहता है तो उपरोक्त संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट से चर्चा कर सहमति आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से सूचना कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

Contd...

{3} माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई अवकाश परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे परिवर्तित अवकाश दिनोंक को पूर्व घोषित अवकाश दिनोंक को ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट परिवर्तित अवकाश दिनोंक को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

{4} यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायाधीश की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें रिमाण्ड कार्य सम्पादित करना होगा।

{5} तहसील न्यायालय शहपुरा स्थित दोनो पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य जिला मुख्यालय में उपलब्ध, रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

{6} पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थित या अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

{7} मध्यप्रदेश शासन या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा माह फरवरी 2025 में आकस्मिक/स्थानीय/ सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने पर उस दिनांक को जिला मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी एवं तहसील शहपुरा में रिमाण्ड ड्यूटी श्री कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा के द्वारा संपादित की जावेगी।

(श्रीमति शशिकान्ता वैश्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक-190/एक-9-1/2013,
प्रतिलिपि -

डिण्डौरी, दिनांक-29.01.2026

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
2. श्री राम प्रसाद सिंह/श्रीमती कमला उईके/श्री उत्कर्ष राज सोनी/सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मुख्यालय डिण्डौरी,
3. श्री कर्नल सिंह श्याम/श्री दिलीप पाटिल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को इस आदेश से अवगत करावें।
5. अध्यक्ष/सचिव, जिला अभिभाषकगण, डिण्डौरी/शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी/शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय डिण्डौरी/शहपुरा सी.आई.एस. कम्प्यूटर अनुभाग डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं रिमाण्ड ड्यूटी आदेश को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ई-मेल में प्रेषित करने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)